पुनर्मूल्यांकन शाखा के महत्वपूर्ण निर्देशः—

(1) पुनर्मूल्यांकन शुल्क 1000/— रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका होगा।

(2) पुनर्मूल्यांकन हेतु जमा कराया शुल्क वापिस नही किया जायेगा। यदि पुनर्मूल्यांकन उपरान्त किसी छात्र कि 10 प्रतिशत या 10 प्रतिशत से अधिक अंक बढ़ जाते हैं तो 1000 रूपये में से 500 रूपये परीक्षार्थी को लौटाये जायेंगें।

(3) अधूरा फार्म/बिना शुल्क प्राप्त फार्म सीधा रदद् कर दिया जायेगा व परीक्षार्थी का इस आशय में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कोई फीस वापिस नही होगी।

(4) पुनर्मूल्यांकन फार्म तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की तिथि उपरान्त 30 दिन के अन्दर—अन्दर बोर्ड कार्यालय में पहुँच जाना चाहिये। अन्तिम तिथि के पश्चात फार्म किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं होगा। परिणाम की सूचना अथवा प्रमाण—पत्र देरी से प्राप्त होने का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

(5) परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा केवल उत्तरपुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जायेगी। यदि किसी कारण से उत्तरपुस्तिका उपलब्ध नहीं होती है तो परीक्षार्थी के प्राप्तांक सूची में दर्शाये गये अंक ही ठीक माने जायेंगे। ऐसी स्थिति में कार्यालय पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य नही होगा और कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नही होगी। ऐसी स्थिति में केवल शुल्क देय होगा।

(6) परीक्षार्थी अपनी एक या एक से अधिक उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल एक ही फार्म भरेगा तथा इकट्ठा शुल्क जमा करवायेगा।

(7) अंकित उत्तरपुस्तिका परीक्षार्थी या उसके माता—पिता एवं अभिभावक को किसी भी अवस्था में नहीं दिखाई जायेगी।

(8) पुनर्मूल्यांकन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही केवल भिवानी स्थित न्यायालय में ही की जा सकेंगी।

(9) पुनर्मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा में ही करवाई जा सकती है तथा बोर्ड नियमानुसार ही पुनर्मूल्यांकन बारे कार्यवाही की जायेगी।

(10) पुनर्मूल्यांकन के फार्म भरते समय परीक्षार्थी इन्टरनेट से अपने परिणाम की प्रति निकलवाकर अवश्य साथ लगाये।

(11) सभी परीक्षार्थी आवेदन भरते समय अपना मोबाईल न0 फार्म में अवश्य भरे।

(12) पुनर्मूल्यांकन में यदि किसी विषय में अंक कम होगें तो उसके कम हुए अंक मान्य होगें पहले अर्जित किए गए अंक मान्य नहीं होगें।

(13) परीक्षार्थी के परिणाम की सूचना मूल्यांकन होने उपरान्त बोर्ड की वैबसाईट पर डाल दी जायेगी। बोर्ड की वैबसाईट http:// www.bseh.org.in/ पर देख सकते है।

(14) 90 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र भी पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते है ।

पुनः जांच के महत्वपूर्ण निर्देश

1. पुनः जांच शुल्क 250/-रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका होगा।
2. पुनः जांच हेतु जमा करवाया शुल्क वापिस नहीं होगा।
3. अधूरा फार्म/बिना शुल्क प्राप्त फार्म सीधा रद्द कर दिया जायेगा।
4. शुल्क तथा पुनः जांच फार्म परिणाम घोषित होने की तिथि उपरान्त 30 दिनों के अन्दर-अन्दर बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। अन्तिम तिथि के पश्चात फार्म किसी भी अवस्था में स्वीकार नही होगा। परिणाम की सूचना/फेल कार्ड/कम्पार्टमैन्ट कार्ड अथवा प्रमाण पत्र देरी से प्राप्त होने का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
5. परिक्षार्थीयों को पुनः जांच की सुविधा केवल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जायेगी। यदि किसी कारण से उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं होती है, तो परीक्षार्थी के प्राप्तांक सूची में दर्शाये गये अंक ही ठीक माने जायेंगें। ऐसी स्थिति में कार्यालय पुनः जांच करने के लिए बाध्य नहीं होगा और कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में केवल शुल्क देय होगा।
6. अंकित उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच करते समय केवल अंकित प्रश्नों के अंकों के योग की जांच की जाती है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि परीक्षार्थी द्वारा हल किये गये सभी प्रश्नों के परीक्षक द्वारा अंक दिये गये है और कोई प्रश्न अनांकित नहीं रहा है।
7. परीक्षार्थी अपनी एक या एक से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच के लिए केवल एक ही फार्म भरेगा तथा इक्ट्ठा शुल्क जमा करवायेगा।
8. अंकित उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी या उसके माता पिता एवं अभिभावक को किसी भी अवस्था में नहीं दिखाई जायेगी।
9. पुनः जांच के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही केवल भिवानी स्थित न्यायालय में ही की जा सकेगी।